## U. P. State Industrial Development Corporation Ltd.



UPSIDC Complex A-1/4, LAKHANPUR KANPUR - 208 024

PHONE: 0512-2582851-53 (PBX)

FAX : 0512-2580797 .
Website : www.upsidc.com
E.Mail : feedback@upsidc.com

Reference No. 26 43-46 ISIDCI/A/4T/A27 01125 -17 Dated 18-12-18

## -: कार्यालय आदेश :-

निगम के संचालक मण्डल की दिनांक 21.11.2018 को सम्पन्न हुई 300वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निगम के औद्योगिक / व्यावसायिक—फैसिलिटी / एकल आवासीय / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डो की प्रचलित समयविस्तारण नीति एवं औद्योगिक भूखण्डों की हस्तान्तरण नीति में निम्नवत संशोधन किया जाता है:—

1. औद्योगिक भूखण्डों हेत् समय विस्तारण नीति

(क) समयविस्तारण की वर्तमान नीति में संशोधन करते हुये निम्नवत तालिका के अनुसार समयविस्तारण शुल्क के भुगतान की शर्त पर 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का समयविस्तारण सभी औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों / हस्तान्तरियों को गुण–दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा :--

Γ-	க்ற	आवटी / हस्तान्तरी-वर्ग	01 वर्ष समय विस्तारण	एक साथ 02 वर्ष समय
- 1			हेतुः देय समयविस्तारण	विस्तारण हेतु देय
13	ਸ਼ਂਹ		शुल्क की दर	समयविस्तारण शुल्क
			(प्रतिवर्गमीटर)	की दर (प्रतिवर्गमीटर)
.   -	1	2	3	4
-	-+-	ऐसे हस्तान्तरी जिन्हे इकाई	समयविस्तारण प्रदान किये	समयविस्तारण प्रदान
11	- 1	- A	जाने की दिनाक की	निक्य जान का विभाषा
	1 4	िचांक से कल 01 वर्ष का	प्रचलितः प्रामियमः देशं का	को प्रचलित प्रीमियम दर
		समय प्रदान किया गया	10 प्रतिशत	का २५ प्रतिशत <sup>.</sup>
1	1	कम संख्या 1 में वर्णित	दिनांक 31.12.2017 को	अनुमन्य नही
2	1 5	रस्तान्तरियों को छोडकर	प्रभावी समयविस्तारण	
	4	<del>जि</del> अन्यं आवंटी /	नीति के अनुसार पूर्व का	
	1 2	रतान्तरी जिनके आवटन/	भॉति आबंटन दर का	
	2	रतान्तरण की दिनांक	05/10/15 प्रतिशत	
١.	3.	1.12.2012 के पश्चात है	अन्तिम रूप से 01 वर्ष के	*
)	13		समयविस्तारण 🧭 हेतु।	
			तत्पश्चात छपरोक्त	
	ľ	red.	क्रमांक-1 के अनुसार	

(3.10) (c.dm) (d.con) (2.11) (c. 2.2)

ण्डो

रात

	3	ऐसे आवंटी/ हरवान्त	2.2	
1		ऐसे आवंटी/ हरतान्तर्र जिनके आवंटन	रानवावस्तारण प्रदान किय	समयावरतारण प्रदान
- [				
				का प्रचालत प्रामियम
		1 - 1140 10 41 74 101 8 00	II 10 Ulcivici	दर का 25 प्रतिशत
-		उन्हे विस्तारित समय वर्ष		
-	-	2018 में उपलब्ध है		
1	4	प्रिं आवटा हस्तान्तरी	समयविरतारण प्रदान किये	रागयविरतारण प्रदान
	•	ाजान आवटन /	। जाने की दिनक की	कियं जान की दिनक
- 1		विरामित्र का विनाक 01	। प्रचलित प्रोमियम टर का।	को प्रचलित प्रीमियम् ।
		। 01.2013 क पूर्व की है	। 15 प्रतिशत तथा उपरोक्त	दर का ३० प्रतिशत
		ाकन्तु अनक द्वारा दिनाक	के साथ पिछले सभी वर्षो	तथा उपरोक्त के साथ
1		31.12.2017 ं तक	हेत् नियमानुसार देय	पिछले सभी वर्षो हेतु ।
		हरतान्तरण/ समयविस्तारण	समयविरतारण शल्क भी	नियमानुसार देय
		हेतु आवेदन नही किया गया	दिनांक 31.12.2017 को	समयविस्तारण शुल्कं भी
			प्रभावी समयविस्तारण नीति	दिनांक 31.12.2017 को
			के अनुसार देय होगा।	प्रभावी समयविस्तारण
1	٠			नीति के अनुसार देय
		¥ 1		होगा।
5		आवंटन के पुनर्जीवीकरण	समयविस्तारण प्रदान किये	
1.		पत्र में अनुमन्य समयसीमा		13.4.10.
		समाप्त होने पर	प्रचलित प्रीमियम दर का	
			15 प्रतिशत तथा उपरोक्त	
١.	ļ	: '	के साथ पिछले संभी वर्षी	
			हेतु नियमानुसार देय	
			समयविस्तारण शुल्क भी	
	-		दिनांक 31.12.2017 को	
	-	•	प्रभावी समयविस्तारण नीति	
	- [			
	1		के अनुसार देय होगा।	
6.	- 1	उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 के		)
	1	अतिरिक्त अन्य सभी	जाने की दिनांक को	
	1	आवंटी / हस्तान्तरी	प्रचलित प्रीमियम दरं का	को प्रचलित प्रीमियम
			10 प्रतिशत तथा उपरोक्त	दर का 25 प्रतिशत
			के साथ पिछले सभी वर्षो	तथा उपरोक्त के साथ
				पिछले सभी वर्षो हेतु
			समयविस्तारण शल्क भी	नियमानुसार देय
			समयविस्तारण शुल्क भी दिनाक 31.12.2017 को	समयविस्तारण शुल्क भी
		•	TWING THE THE THE	जिलांक वर्ष रच रचन स्त
			प्रभावी रामयविस्तारण नीति	1
		**	के अनुसार देय होगा।	प्रभावी समय विस्तारण
			*	नीति के अनुसार देय
				होगां।
				4

- (ख) समय विस्तारण हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र क्षेत्रीय प्रवश्वक/परियोजना अधिकारी द्वारा निर्णय हेतु रपष्ट संस्तुति सहित मुख्यालय अग्रसारित किये जायेगें। उपरोक्त प्रस्तर (क) में दी गई तालिका के क्रमांक 2 एवं 4 पर अंकित आवंटियों को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन विलम्बतम दिनांक 31.3.2019 तक निगम के सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त कराना होगा तथा दिनांक 31.03.2019 के पश्चात प्राप्त ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी प्रकरणों पर निर्णय गुण-दोष के आधार पर प्रवन्ध निर्देशक द्वारा लिया जाएगा।
- (ग) किसी भी आवंटी / हरतान्तरी को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण अधिकार रूप में स्वयंमेव प्राप्त नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में आवंटी द्वारा इकाई स्थापना में की गयी प्रगति के दृष्टिगत गुण—दोष के आधार पर समयविस्तारित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
- (घ) वर्तमान में प्रचलित समयविस्तारण नीति उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा उक्त नीति के अन्य प्रावधान यथावत रहेगें।
- 2. व्यावसायिक-फैसिलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/ संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिये समयविस्तारण नीति

संचालक मण्डल के निर्णय के अनुसार उपरोक्त सभी प्रकृति के उपयोगों हेतु आवंटित किये गये भूखण्डों में समयविस्तारण की संशोधित नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है:—

(क) व्यायसायिक—फैसिलिटी / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक) उपयोग हेतु भविष्य में आवंटित / हस्तान्तरित किये जाने वाले भूखण्डों में आवंटन / हस्तान्तरण की दिनांक से कुल 05 वर्ष का समय भूखण्ड का अनुमन्य उपयोग करने हेतु दिया जाएगा। तत्पश्चात 01 वर्ष समयविश्तारण हेतु देय

Scanned with CamScanner

गड़ो



समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समयविस्तारण का अनुमोदन प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी। अगले 01 वर्ष के समयविस्तारण के लिये देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी।

- (ख) व्यावसायिक—फैसिलिटी / ग्रुप हाउसिंग / संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर—शैक्षणिक) उपयोग हेतु वर्तमान में आवंटित / हस्तान्तिस्त सभी भूखण्डों में आवंटन / हस्तान्तरण पत्र अथवा लीजडीड में अनुमन्य समय—सीमा समाप्त होने पर देय समयविस्तारण शुल्क प्रश्नगत आवंटनपत्र / हस्तान्तरणपत्र / लीजडीड की शर्तों में यदि स्पष्ट रूप से उल्लिखित है तो तदनुसार देय होगा अन्यथा अब 01 वर्ष समयवृद्धि हेतु देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु समयविस्तारण का अनुमोदन प्रदान किये जाने की दिनांक को प्रचलित प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी। अगले 01 वर्ष के समयविस्तारण के लिये देय समयविस्तारण शुल्क की दर प्रश्नगत भूखण्ड हेतु तत्समय प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर होगी।
- (ग) एकल आवासीय भूखण्डों में अनुमन्य समय सीमा समाप्त हो जाने पर भी कोई समयविस्तारण शुल्क देय नहीं होगा।
- (घ) किसी भी व्यावसायिक—फैसिलिटी / गुप हाउसिंग / संस्थागत (शैक्षणिक एवं गैर—शैक्षणिक) भूखण्ड के आवंटी / हस्तान्तरी को उपरोक्तानुसार समयविस्तारण अधिकार रूप में स्वयंमेव प्राप्त नहीं होगा तथा सभी प्रकरणों में आवंटी द्वारा अनुमन्य उपयोग की दिशा में की गयी प्रगति के दृष्टिगत गुण—दोष के आधार पर समयविस्तारित किये जाने का निर्णय सक्षम अधिकारीं द्वारा लिया जाएगा।



## 3. औद्योगिक भूखण्डों के हस्तान्तरण की नीति में संशोधन

ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनके आवटन से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है तथा प्रश्नगत भूखण्ड निगम के आपरेटिंग मेन्युअल (औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष—2011 चैप्टर —6 के प्रस्तर 6.01 में दी गयी परिभाषा के अनुसार "रिक्त भूखण्ड" की श्रेणी में आता है, के हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि दिनाक 31.3.2019 होगी तथा ऐसे भूखण्डों का हस्तान्तरण वर्तमान प्रचलित प्रीमियम दर के 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर की दर पर देय हस्तान्तरण लेवी सिहत अनुमन्य होगा। ऐसे सभी प्रकरणों पर गुण—दोष के आधार पर निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।

हरतान्तरण की वर्तमान नीति के शेष प्रावधान यथावत रहेगें।

(राजेश कुमार सिंह) प्रबन्ध निदेशक

संख्या २०५३ - ५६/ एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17

वि० 18-12-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,

2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय, कानपुर।

समस्त अधिकारी / कर्मचारी, (औ० क्षे० अनुभाग), उ०प्र०२ा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय,

कानपुर।

4. गार्ड फाईल

17.12.18

(राजेश कुमार सिंह) प्रबन्ध निदेशक